प्रपत्र–15.1

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र0 स0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग										
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	रिवर रैन्ज	खडीक	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	7
2		किमू	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3		भीमल	—	—	1	—		—	—	—	—	—	1
4		दूधला	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	5
5		सिरस	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
6		बॉज	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4
	योग--				8	6	3	2					19

ह0/–
तहसीलदार

ह0/–
उप जिलाधिकारी

ह0/–
(राजि0 अधिकारी)

ह0/–
(प्रभागीय वनाधिकारी)

	ह0ख0												
योग		–	–	–	–	–	–	–	सिविल भूमि के वृक्षो का योगः–				19
कुल योग		–	–	5	13	9	4	3	–	–	–	–	34

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाईखण्डलो0नि0वि0,
सहिया।

उप वन संरक्षक
चकरातावन प्रभाग,
कालसी।

वन बीट अधिकारी
क्षेत्र –

अमीन
अ0खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

वन दरोगा
क्षेत्र–
दयानन्द सकलानी
वन दरोगा
कोरी अनुभाग

वन क्षेत्राधिकारी
क्षेत्र–
चकराता वन प्रभाग

पटवारी / थानाध्यक्ष
क्षेत्र–

तहसीलदार,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

District Magistrate
Dehradun.

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)
5.1 A proposal has been received by this office
From अधिशासी अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0 सहिया **.for constrction of** पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)**(prpojal lanth 4.00) under FCA-1980) of 0.9975 ha. Of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of** पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)**The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..................**
5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 0.9975 ha.
5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes
5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- NO
5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NO
a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. yes
b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. NO
Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. NO
(Signature)
Place:- chakarata kalsi Name..........................
Date..............2015........ Designation............
Office Seal ....
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.
As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

उपवन संरक्षक
चकराता वन प्रभाग चकराता

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून

District Magistrate
Dehradun.

प्रपत्र–6

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

ह0/– ह0/– ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी प्रभागीय वनाधिकारी जिलाधिकारी

नोट :–यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ 1:50,000 पैमाने की टोपोशीट पर अंकित की जानी है।

प्रपत्र–7

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

डिजिटल मानचित्र मय दो सी0डी0
ह0/– ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी प्रभागीय वनाधिकारी

(48)

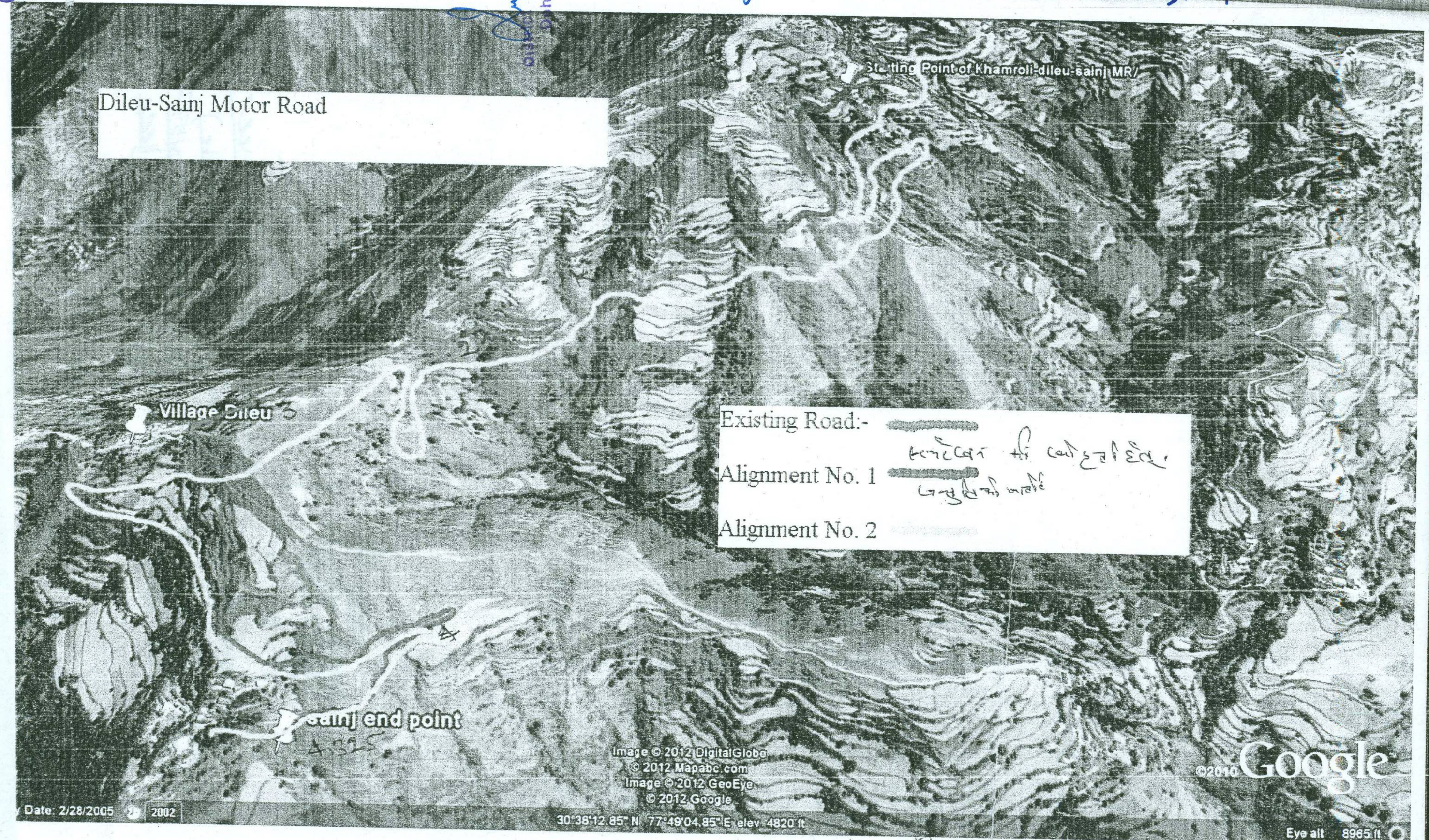

District Magistrate
Dehradun.

Recommended for proposed Alignment No 1 shown in Red colour.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
साहिया (देहरादून)

प्रपत्र–8

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

प्रपत्र–9

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

इस परियोजना की हेतु दो समरेखणो पर विचार किया गया तथा तुलनात्मक विवरण बनाकर अधीक्षण अभियन्ता 9 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को अनुमोदन प्रेषित किया गया ।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सरेखण न0 1 लाल रंग तथा संरेखण न0 2 नीले रंग से नक्शे पर दर्शाये गये है तथा इन दोनो संरेखणो के गुण – दोष के आधार पर सरेखण न0 1 को अधीक्षण अभियन्ता 9 वॉ वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को अनुमोदित किया गया है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

प्रपत्र–10

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 2.800 हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्यकिया जाना सम्भव नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता देहरादून

जिलाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

District Magistrate
Dehradun.

प्रपत्र–11.1

परियोजना का नाम :– पंजीटिलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (0.9975 है0)

लैन्ड शेड्यूल (सिविल सोयम भूमि)

जिला	तहसील	ब्लॉक	खसरा नं0	कुल रक्बा	परियाजना की लम्बाई	चौडाई मी0 में	आवेदित क्षे0 है0 में
देहरादून	कालसी	कालसी	132	0.150	1425	7 मी0	0.9975
			936	0.100			
			665	0.150			
			649	0.010			
			650	0.030			
			567	0.130			
			622	0.130			
			385	0.035			
			12	0.035			
			13	0.035			
			185	0.080			
			186	0.112			

ह0/–

जिलाधिकारी

District Magistrate
Dehradun.

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

प्रयोग में आने वाली सिविल वन भूमि का विवरण लैन्ड शेड्यूल।

वन प्रभाग – चकराता वन प्रभाग।

वन वृत्त – ~~शिवालिक~~ यमुना वृत्त।

क0सं0	रेंज का नाम	कम्पार्टमैन्ट सं0	वन भूमि	लम्बाई मी0 में	चौड़ाई मी0 में	क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	क्षेत्रफल है0 में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रीवर रेंज	–	सिविल वन भूमि	1425	7.00	9975	0.9975
योग				1425	7.00	9975	0.9975

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रपत्र–12

...जना का नाम:– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0 भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4
1 आरक्षित वन भूमि	–	–	–
2 सिविल सोयम भूमि	1425	7.00	0.9975
3 नाप भूमि	2575	7.00	1.8025
कुल योग–	4000		2.8000

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया

उप ... वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

प्रपत्र–13

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

वारचार्ट का प्रारूप

कि0मी0 कि0मी0

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी रंग क्षेत्रफल
(है0 में)
आरक्षित वन भूमि हरा
सिविल एवं सोयम वन भूमि पीला
वन पंचायत भूमि नीला
नाप भूमि अन्य रंग

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

बार चार्ट

कार्य का नाम –पंजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग

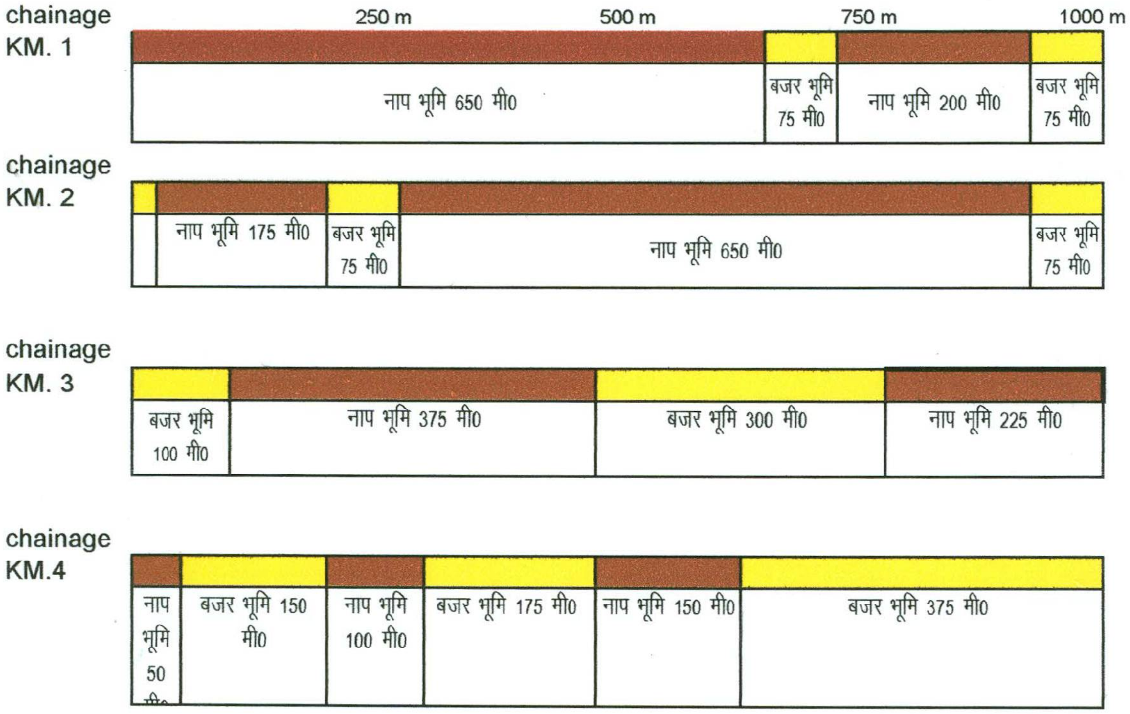

बंजर भूमि	0.9975
नाप भूमि	1.8025
योग	2.800 हे0

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
सहिय. (देहरादून)

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
सहिया।

वन क्षेत्राधिकारी
रीबर रेंज
चकराता वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून

प्रपत्र–1

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित मोटर मार्ग शासनादेश संख्या 541/III-(2)/05–13 (प्रा0आ0)/2005 दिनांक 30/06/2005 के द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत हैं। इस मार्ग के निर्माण से सुदूरवर्ती क्षेत्र पजिटीलानी सैज मार्ग के अन्तर्गत ग्राम खमरौली दिलउ एवं सैन्ज की जनता को देहरादून शहर तक आने जाने व अपनी कृषि उपज को देहरादून मण्डी तक पहुचाने शिक्षा एवं आपात कालीन चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। इस मार्ग के निर्माण से इन ग्राम वासियों को शहर देहरादून से नजदीकी सम्पर्क बन जायेगा जिससे पर्यटन में वृद्वि होगी साथ ही स्थानीय लोगो को रोजगार भी मिलेगा तथा स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अध्याय–2

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु चैक लिस्ट

2.1 वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग व राजस्व विभाग के सहयोग से वन भूमि हस्तानतरण प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ वॉछित सूचनायें संलग्न नहीं की जाती हैं व अधूरा प्रस्ताव नोडल अधिकारी कार्यालय को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाता है। अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के कारण भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होता है, अतः विकास परियोजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा पूर्ण/त्रुटिरहित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2 उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली समस्त सूचनाओं/प्रपत्रों की एक समेकित चैक लिस्ट, जिसमें वन भूमि पर प्रस्तावित समस्त प्रयोजनों हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं/प्रपत्रों का विवरण अंकित है, सारणी–3 में दी जा रही है। विभिन्न प्रयोजनों हेतु अलग–अलग सूचनायें प्रस्ताव में अंकित की जाती हैं व प्रयोजन विशेष के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाने वाली सूचनाओं की भी अलग–अलग विषय सूचियाँ तैयार की गई हैं।

समेकित चैक लिस्ट

सारणी–3

क0सं0	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	प्रतिवेदन	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
2.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना अंकित करना।	2 से 2.4 तक	प्रस्तावक/ डी0 एफ0ओ0/ अन्य	प्रस्तावक/ डी0एफ0ओ0/ अन्य
3.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	3	प्रस्तावक	–
4.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	4	उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
5.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर	5	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0

	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। **(SIR)**			
6.	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट मानचित्र।	6	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
7.	डिजिटल मैप व सी0डी0।	7	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
8.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण।	8 व 9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	10	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
10.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	11 व 11.1	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक
12.	बार चार्ट।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	14	समिति	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
14.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण एवं मूल्यॉकन / सारांश / वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़।	15 से 15.6 तक	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
15.	बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण–पत्र।	16	वन संरक्षक	वन संरक्षक
16.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	17	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
17.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	17.1	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
18.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र।	18	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
19.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र।	19	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
20.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	20	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
21.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	21	प्रस्तावक	प्रस्तावक
22.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	22 से 22.2 तक	प्रस्तावक	प्रस्तावक
23.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	23 से 23.3 तक	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति
24.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण।	24	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

25.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	25	प्रस्तावक	प्रस्तावक
26.	परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक की आख्या।	26	भू–वैज्ञानिक	भू–वैज्ञानिक
27.	भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	27	प्रस्तावक	प्रस्तावक
28.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
29.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण–पत्र।	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र।	30	जिलाधिकारी/प्रस्तावक	जिलाधिकारी/प्रस्तावक
31.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक
32.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
33.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण–पत्र।	33	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र।	34	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
35.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	35	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
36.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र।	36	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
37.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन।	37	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
38.	सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पथ वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	38	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
39.	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना पेड़ लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन। (1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	39	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
40.	पारेषण लाइन के कोरिडोर नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन।	40	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
41.	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	41	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0	प्रस्तावक/डी0 एफ0ओ0
42.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	42	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
43.	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण–पत्र।	43	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	44	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
45.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	45	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक	डी0एफ0ओ0/प्रस्तावक

46.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण। (यदि लागू हो)	46	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
47.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र।	47	डी0एफ0ओ0 / उच्चस्तरीय समिति	डी0एफ0ओ0 / प्रस्तावक
48.	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	प्रस्तावक	–
49.	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	49	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
50.	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	50	प्रस्तावक	–

नोट :–उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

उत्तराखण्ड शासन

(गढ़वाल क्षेत्र)

लोक निर्माण विभाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

जनपद :– देहरादून।

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वर्ष :– 2015–2016

मार्ग की कुल लम्बाई	:–	4.00 कि0मी0
निर्माण लागत (रू0)	:–	111.20लाख
वन भूमि हेतु गठित प्रस्ताव	:–	2.800 है0
आरक्षित वन भूमि	:–	0.00 है0
सिविल एवं सोयम वन भूमि	:–	0.9975 है0
पंचायत बंजर भूमि	:–	0.00 है0
निजी / नाप भूमि	:–	1.8025 है0
योग	:–	2.800 है0

9वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग,देहरादून।
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

प्रपत्र–2

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए) परियोजना विवरण :–

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण–		पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0) शासनादेश संख्या I 541/III-(2)/05–13 (प्रा0आ0)/2005 दिनांक 30/06/2005 ख)
1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	–	सलंग्नक– 7 पर संलग्न हैं।
ग) परियोजना की लागत।	–	**111.20 लाख**
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने एवं का औचित्य	–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना ।पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	–	उक्तानुसार ।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	–	कृषि में वृद्वि होगी जिससे रोजगार पैदा होगें।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार एवं विवरणः	–	स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है		
क) परिवारों की संख्या	–	कोई नही।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–	कोई नही।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–	आवश्यकता नही।
.4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	–	नही।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	–	सॅलग्नक–
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	–	सॅलग्न हैं।

दिनांक..................

स्थान..................

सहायक अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अधिशासी अभियन्ता
अ0 खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

प्रपत्र–2.1

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....................

7. परियोजना/स्कीम का स्थान–	पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र –	उत्तराखण्ड
ii) जिला–	देहरादून
iii) वन प्रभाग–	चकराता वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	0.9975.........है0
v) वन की कानूनी स्थिति	सिविल एवं सोयम वन भूमि
vi) हरियाली का घनत्व	0.1
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	उक्त मोटर मार्ग निर्माण मे चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल बाधित वृक्षो की सं0 34है। जो प्रस्ताव के साथ सॅलग्न है।
viii) भूसंरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू- वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	
10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	–
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित	–

वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या,

........2........

प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वियन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। — संलग्न है।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। — 1.995 हे @ 1,30,000 = 2,59,350=00

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। — प्रतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम दिलौ की सिविल भूमि में किया जायेगा,

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल — चकराता वन प्रभाग चकराता

जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 3088 व. किमी

i. जिला का वन क्षेत्र। — 2116 व. किमी

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 685 है.

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

.... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर — 435 है.

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — इस मार्ग निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को यातायात परिवहन हेतु उत्पादित कृषि उपज को स्थानीय मण्डी तथा आवागमन हेतु मार्ग निर्माण की संस्तुति की जाती है, तथा 4 किमी सड़क के दोनों ओर जहां स्थान रिक्त है, पथ वृक्षारोपण किया जायेगा, 4 किमी @ 2,00,000 = 8,00,000=00

दिनांक....2015....

स्थान....चकराता....

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रपत्र–2.2
भाग–।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि..................
स्थान...............
हस्ताक्षरः

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.3
भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षरः
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र–2.4

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षरः
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

संख्या– 541 / III (2)/05 –13(प्रा0आ0)/05

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 30 जून, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में जनपद देहरादून में पंजीटिलानी –सैन्ज मोटर मार्ग के निर्माण की टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में पंजीटिलानी–सैन्ज मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 8.00 किमी.) के आगणन रूपया 111.20 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रूपये 111.20 लाख (एक करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि के लागत के आगणन की टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रूपये 0.50 लाख (रू. पचास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्धय नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

N/C
329

10. यदि उपरोक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत कि जा चुकी है तो उक्त योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. इस कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0-31-लेखाशीर्षक-5054-सडको तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-नवनिर्माण कार्य-00-24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 727/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 28 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0वी0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 541 /।।(2)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मंडल, पौढी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौढी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. श्री एल.एम. पन्त,अपर सचिव,वित्त बजट अनुभाग।
10. नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उत्तरांचल शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0वी0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 18.11.2014 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुभाष चन्द वन क्षेत्राधिकारी कालसी रेंज, एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री बहादूर सिह पॅवार राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पजिटीलानी प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुनीत सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि / नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, – हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.9975** हे0, एवं नाप भूमि **1.8025** हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प / संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन सिविल भूमि में 19 वृक्षों व नाप भूमि पर **15** वृक्षों अर्थात कुल 34 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार / व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

वन क्षेत्राधिकारी **रेंज कालसी**	**वन दरोगा** **रेंज कालसी**	**वन बीट अधिकारी** **रेंज कालसी**
सहायक अभियन्ता **अ0ख0लो0नि0वि0 सहिया**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया**	**अमीन** **अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया**

(एम0एस0 परमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

उप जिलाधिकारी
कालसी

District Magistrate
Dehradun.

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रीवर राजि डाकपत्थर

पत्रांक 477 /12 डाकपत्थर, दि0 2 जनवरी 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
सहिया।

डायरी सं० 20/6C
पत्रा० सं० 3/1/15
दिनांक

विषयः— पंजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैंड से ग्राम सैंज तक प्रस्तावित सर्म्पक मोटर मार्ग के सयुक्त निरीक्षण के सम्बंध में।

संर्न्दभः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 2428/12—1 दि0 12—11—2014,

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिनॉक 12—11—2014 को पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैड से ग्राम सैंज तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया, उसके पश्चात उसमें बाधित वृक्षो की गणना कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

संलग्नकः— 1. संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट
2. बाधित वृक्षो की गणना सूची
3. बाधित वृक्षो की मूल्यांकन रिर्पोट

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

मूल प्रति में सहायक अभियन्ता प्रथम को शीघ्र अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
संलग्नक: पत्रानुसार।
प्रतिलिपि श्री शूरवीर सिंह क०स० / श्री सुन्दर सिंह अमीन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्रतिलिपि - स्वयं को।

अधिशासी अभियन्ता
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 04/01/2015
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
सहिया (देहरादून)

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रीवर राजि डाकपत्थर

पत्रांक 477 /12 डाकपत्थर, दि0 2 जनवरी 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
सहिया।

विषयः— पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैंड से ग्राम सैंज तक प्रस्तावित सर्म्पक मोटर मार्ग के सयुक्त निरीक्षण के सम्बंध में।

संन्दर्भः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता के पत्रांक 2428/12—1 दि0 12—11—2014,

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिनॉक 12—11—2014 को पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैड से ग्राम सैंज तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया, उसके पश्चात उसमें बाधित वृक्षो की गणना कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

संलग्नकः—
1. संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट
2. बाधित वृक्षो की गणना सूची
3. बाधित वृक्षो की मूल्यांकन रिर्पोट

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

सॅयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 18–11–2014 को श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता के पत्रांक 2428 / 12–1 दिनॉक 12–11–2014 के अनुसार पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैड से ग्राम सैज तक 4 किलोमीटर लम्बाई (7 मीटर चौडाई) का सयुक्त निरीक्षण लोकनिर्माण सहियॉ, राजस्व विभाग, वन विभाग के साथ किया गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग के कनिष्ट अभियन्ता श्री हिमॉशु नौटियाल, श्री सुन्दर सिहं तोमर अमीन, श्री बहादुर सिहं पवार हल्का पटवारी, श्री दयानन्द सकलानी वन दरोगा, मौके पर उपस्थित रहे, जिसमे पडने वाले वृक्षो की सूची निम्न प्रकार से है।

क0 स0	प्रजाति का नाम	वैज्ञानिक नाम	व्यास	वृक्ष सं0	प्रति वृक्ष मूल्य	योग	भूमि का प्रकार
1	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	20–30	1	825.00	825.00	नापभूमि
2	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	30–40	1	2624.00	2624.00	–'–
3	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	50–60	1	6843.00	6843.00	–'–
4	भीमल ह0ख0	ग्रीवीया औप्टीवा	10–20	4	90.00	360.00	–'–
5	भीमल ह0ख0	ग्रीवीया औप्टीवा	20–30	2	825.00	1650.00	–'–
6	भीमल ह0ख0	ग्रीवीया औप्टीवा	30–40	1	2624.00	2624.00	–'–
7	अखरोट ह0ख0	जुगलन्स रिजियॉ	20–30	1	450.00	450.00	–'–
8	पिलखन ह0ख0	फाइकस कार्डोफोलियॉ	10–20	1	90.00	90.00	–'–
9	पिलखन ह0ख0	फाइकस कार्डोफोलियॉ	20–30	1	825.00	825.00	–'–
10	दुधला ह0ख0	फाइकस निमोरेलिस	30–40	1	2624.00	2624.00	–'–
11	दुधला ह0ख0	फाइकस निमोरेलिस	40–50	1	4680.00	4680.00	–'–
12	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	20–30	2	825.00	1650.00	सिविल भूमि
13	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	30–40	2	2624.00	5248.00	–'–
14	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	40–50	1	4680.00	4680.00	–'–
15	खडीक ह0ख0	सोल्टसआस्टे्लियस	50–60	2	6843.00	13686	–'–
16	किमू ह0ख0		30–40	1	2624.00	2624.00	–'–
17	भीमल ह0ख0	ग्रीवीया औप्टीवा	20–30	1	825.00	825.00	–'–
18	दुधला ह0ख0	फाइकस निमोरेलिस	20–30	2	825.00	1650.00	–'–
19	दुधला ह0ख0	फाइकस निमोरेलिस	30–40	2	2624.00	5248.00	–'–

20	दुधला ह0ख0	फाइकस निमोरेलिस	40—50	1	4680.00	4680.00	—'—
21	सीरस ह0ख0	एलबिजियॉ लिबिका	20—30	1	3903.00	3903.00	—'—
22	बॉज ह0ख0	क्यूरकस इनकाना	20—30	2	300.00	600.00	—'—
23	बॉज ह0ख0	क्यूरकस इनकाना	30—40	1	675.00	675.00	—'—
24	बॉज ह0ख0	क्यूरकस इनकाना	40—50	1	1215.00	1215.00	—'—
			योगः—	34	योगः—	83422.00	

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया।

उप वन संरक्षक
चकराता वन प्रभाग,
कालसी।

वन बीट अधिकारी
क्षेत्र —

अमीन
अ0खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया

वन दरोगा
क्षेत्र—

वन क्षेत्राधिकारी
क्षेत्र—

पटवारी / थानाध्यक्ष
क्षेत्र—

तहसीलदार,
कालसी

उप जिलाधिकारी
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

District Magistrate
Dehradun.

पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैंड से ग्राम दिलऊ सैंज तक मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव की संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम –: पजीटीलानी सैंज मोटर मार्ग खमरोली बैंड से ग्राम दिलऊ सैंज सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण ।

कुल लम्बाई –: 4.00 कि0मी0 (7 मीटर चौडाई में)

क0 सं0	वृक्षो की प्रजाति	भूमि का प्रकार	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	खडीक ह0ख0	नाप भूमि	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3
2	भीमल ह0ख0	–'–	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	7
3	अखरोट ह0ख0	–'–	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4	पिलखन ह0ख0	–'–	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
5	दुधला ह0ख0	–'–	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
	नाप भूमि के वृक्षो का योगः–												15
1.	खडीक ह0ख0	सि0 भूमि	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	7
2	किमू ह0ख0	–'–	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3.	भीमल ह0ख0	–'–	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
4.	दुधला ह0ख0	–'–	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	5
5.	सीरस ह0ख0	–'–	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
6.	बॉज	–'–	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	4

प्रपत्र--23.2

परियोजना का नाम :- पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण ।
(कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0)
कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण--पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत - शासनादेश सं0 541/111-05-13 (प्रा0आ0) 05 दिनांक 30.06.2005 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के पजिटीलानी सैज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9975 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.8025 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.800 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) की **दिनांक** 1/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-- श्री अशोक पाण्डेय , उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून (अध्यक्ष)
2-- श्री बी0बी0 मार्तोलिया उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता (सदस्य)
3-- श्री मिठन लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य/सचिव)
4-- श्रीमति उषा नेगी बी0डी0सी0 क्षेत्र आरा (सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के पजिटीलानी सैज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9975 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.8025 हे0 नापभूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का सबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के पजिटीलानी सैज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9975 हे0 सिविल एवं सोयम